जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक	विक्रम संवत्	14(शु0) माघ 1942 (शा0)
03/2021	2077	जमशेदपुर, शुक्रवार, 26/02/2021

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,सं0–3,स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर कैम्प आदित्यपुर द्वारा निकाले गये भू– अर्जन विभाग का प्रारंभिक अधिसूचना।

विषय सुची	पृष्ट संख्या
भू–अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।	01–02

प्रपत्र–VIA
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम
(भू–अर्जन शाखा)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013की धारा 11(1) के अधीन)

संख्या :–529 दिनांक–23 /12/ 2020.

चूँकि समाहर्त्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–अंगारपाड़ा, थाना–घाटशिला, थाना संख्या–990, अंचल–गुडाबान्दा, जिला–पूर्वी सिंहभूम मे सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना अंगार पाड़ा लद्यु नहर निमार्ण के लिये भूमि अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप मे नियुक्त किये गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–अंगारपाड़ा, थाना–घाटशिला, थाना संख्या–990, अंचल–गुडाबान्दा, जिला–पूर्वी सिंहभूम के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए भूमि का एक टुकडा अपेक्षित है, जो मानक मापसे कमोबेश 0.12 एकड़ यानी 0.049 हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है,अर्जनाधीन है :–

क्र. सं०	खाता संख्या	सर्वेप्लट संख्या	स्वामित्व काप्रकार	भूमिकाप्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्तिकानाम एवं पता	सीमा (भू–खण्ड संख्या)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	229	732	कायमी	दोनाII	0.12	बैरागी पातर पिता–स्व० शिवो पातर जाति–ताँती, निवारी–अंगारपाड़ा।	730 731	738	734 735 736	711 रास्ता

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के उपबन्धां के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्शां का निरीक्षण विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी संख्या–०3, सुवर्णरेखा परियोजना मानगो कैम्प–आदित्यपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अव भूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते है।

लगातार–2

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अर्तरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभारन हीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा–15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी संख्या–03, सुवर्णरेखा परियोजना मानगो कैम्प–आदित्यपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी तथा अनावाद झारखण्ड सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण की भूमि कोअर्जनाधीन रकवा से मुक्त रखा गया है।

ह०/–
विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–03
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर,
कैम्प–आदित्यपुर।

ह०/–
अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।